NCDC

*Assisting Cooperatives. Always!*

# राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

**NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION**

(An ISO 9001:2015 Certified Organization)

(A Statutory Body Under Ministry of Cooperation, Govt. of India)

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

☏ (080) 25702112
ro.bangalore@ncdc.in
www.ncdc.in

NCDC, Regional Office,
3rd Floor, KHB Complex, NGV,
Koramangala, Bengaluru, Karnataka - 560047

**प्राधिकृत अधिकारी का विवरण: श्रीमती तनीषा लाल, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु, तीसरी मंजिल, केएचबी कॉम्प्लेक्स, एनजीवी, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560047, मोबाईल नं. 9311765334, ई-मेल आई डी : ro.bangalore@ncdc.in**

## सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित नियम (प्रवर्तन), 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ईनीलामी बिक्री सूचना-

एतदद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओंबंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे / उल्लिखित संपत्तियाँ, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधकप्रभारित हैं तथा जिनका/ **प्रतीकात्मक कब्जा** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सुरक्षित ऋणदाता के **प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा ले लिया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित उधारकर्ता संगठन, अध्यक्ष एवं बंधककर्ताओं से सुरक्षित ऋणदाता की बकाया राशि की वसूली हेतु **ईनीलामी-** के माध्यम से **दिनांक 06.03.2026** को **"जहाँ हैजैसा है ,, जो है जैसा है, जो भी है तथा बिना किसी सहारे के"** के आधार पर बेचा जाएगा।

| उधारकर्ता संगठन, निदेशक तथा बंधककर्ता के नाम | बिक्री/नीलामी हेतु सुरक्षित संपत्तियों का विवरण |
|---|---|
| **उधारकर्ता**:<br>प्रथमिका कृषि पट्टिना सहकार संघ नियमिथा, इल्लाल, बागलकोट तालुक, बागलकोट जिला, कर्नाटक- 587111<br><br>**अध्यक्ष**:<br>श्री मुदकप्पा भिरप्पा बेलावलाड<br>मोबाइल- 9900446769<br><br>**सीईओ:**<br>श्री वेंकटेश<br>मोबाइल - 9916939667 | इलाल गांव, तालुका: बागलकोट, जिला बागलकोट में स्थित जमीन या भूखंड के सभी टुकड़े एवं हिस्से, जिनका सर्वे नंबर D71, D72 एवं D73 है और जिनका क्षेत्रफल 720.00 वर्ग मीटर है; साथ ही उस पर निर्मित सभी इमारतें और संरचनाएं तथा जमीन से जुड़े पौधे और मशीनरी या जमीन से जुड़ी कोई भी स्थायी चीज़ सहित।<br>**संपत्ति की सीमाओं का विवरण:**<br><table><tr><th>दिशा</th><th>दस्तावेज़ के अनुसार</th><th>वास्तविक स्थिति के अनुसार</th></tr><tr><td>पूर्व</td><td>सड़क</td><td>सड़क</td></tr><tr><td>पश्चिम</td><td>सड़क</td><td>सड़क</td></tr><tr><td>उत्तर</td><td>डी -43,44,45</td><td>डी -43,44,45</td></tr><tr><td>दक्षिण</td><td>सड़क</td><td>सड़क</td></tr></table> |
| मांग नोटिस तिथि तथा राशि | मांग सूचना (डिमांड नोटिस) दिनांक 19.01.2024 के अंतर्गत ₹41,12,909/- (इक्तालीस लाख बारह हजार नौ सौ नौ रुपये मात्र) की राशि तथा उस पर देय अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार देय थे। दिनांक 15.01.2026 तक देय वर्तमान बकाया राशि ₹53,21,887/- (तिरेपन लाख इक्कीस हज़ार आठ सौ सत्तासी रुपये मात्र) है, जिस पर आगे भी देय ब्याज एवं अन्य |

| | |
|---|---|
| | प्रभार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने हैं। |
| **कब्जा दिनांक एवं कब्जे का प्रकार** | दिनांक 29.04.2024 (प्रतीकात्मक कब्जा) |
| **आरक्षित मूल्य** | **₹33,87,700.00 (तैंतीस लाख सतासी हज़ार सात सौ रुपये मात्र)** |
| **बयाना राशि** (E.M.D.) | ₹3,38,770/- (तीन लाख अड़तीस हजार सात सौ सत्तर रुपये मात्र) |
| **बोली वर्धमान मूल्य** | ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) |
| **ई-नीलामी की तिथि एवं समय** | **दिनांक 06.03.2026 को अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक** |
| **निरीक्षण की तिथि एवं समय** | **दिनांक** 25.02.2026 को पूर्वाह्न 10.00 **बजे से अपराह्न** 4.00 **बजे तक** |
| नीलामीबोली केवल वेबसाइट/ https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक बार 5 (पाँचमिनट की अवधि का असीमित विस्तार किया जाएगा। ( | |

**नियम एवं शर्तें**

1. उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री **"जहाँ है, जैसी है, जो भी है तथा बिना किसी प्रत्याभूति के )As is where is, As is what is, Whatever there is & Without Recourse)"** के आधार पर की जाएगी तथा इन्हें ऊपर उल्लिखित **आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा**।
2. कोटेशनबोली प्रस्तुत करने से पूर्व/, बिक्रीनीलामी से संबंधित जानकारी/, नियम एवं शर्तें, बोली प्रपत्र तथा बोलीप्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी हेतु कृपया उपर्युक्त पते या संपर्क नंबर पर संपर्क करें।/
3. बोली प्रस्तुत करने से पूर्व, बोलीदाताओं को संबंधित सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में अधिकार, स्वामित्व, हित तथा देय बकाया राशि के विषय में **प्राधिकृत अधिकारी से स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए**। इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं सूचना के अनुसार सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कोई भार )Encumbrance) नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को ईनीलामी में रखी गई सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में- **भार, स्वामित्व तथा किसी भी प्रकार के दावेबकाया/अधिकार/** के विषय में अपनी स्वतंत्र जाँच करनी चाहिए। यह ई-नीलामी विज्ञापन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ओर से किसी प्रकार की प्रतिबद्धता अथवा प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सुरक्षित परिसंपत्तियाँ निगम को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी वर्तमान एवं भावी भारों सहित बेची जा रही हैं। प्राधिकृत अधिकारीबकायों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।/अधिकारों/पक्ष के दावों-सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तृतीय/
5. लागू **स्टाम्प शुल्कफीस आदि/हस्तांतरण एवं पंजीकरण शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/** का वहन केवल क्रेता द्वारा किया जाएगा।
6. उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित सभी **वैधानिक एवं गैरवैधानिक बकाया-, कर, दरें, आकलन, शुल्क, फीस, दावे आदि** की जिम्मेदारी केवल क्रेता की होगी।

7. इच्छुक बोलीदाता **मेसर्स ईऑक्शन टाइगर / प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड-**, बी-704, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात से ऑनलाइन बोली हेतु (भारत) श्री मौलिक श्रीमाली :प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क सूत्र**9173528727 | 9265562819 | 9265562821 | 9265562818** ई:मेल- **maulik.shrimali@auctiontiger.net or support@auctiontiger.net** बिक्री के नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए कृपया **https://sarfaesi.auctiontiger.net** या **https://www.ncdc.in** देखें **।**

8. **ईएमडी एवं केवाईसी दस्तावेज दिनांक 05.03.2026 को अपराह्न 06.00 बजे तक या उससे पूर्व** अधोहस्ताक्षरी के पास पहुँच जाने चाहिए।

9. प्रस्तुत की जाने वाली बोली **आरक्षित मूल्य से अधिक** होगी तथा बोलीदाता अपनी आगे की बोलियाँ **₹100,000/- (एक लाख रूपये मात्रके गुणकों में (** बढ़ाएँगे।

10. सफल बोलीदाता को बिक्री के पश्चात **अगले कार्य दिवस के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित(** जमा करना होगा। निर्धारित समय में 25% राशि जमा न करने की स्थिति में ईएमडी बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी। 25% राशि जमा होने तथा बिक्री की पुष्टि के पश्चात शेष **75% राशि स्वीकृति पुष्टि पत्र प्राप्त होने की तिथि से/15 दिनों के भीतर** अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमन्य विस्तारित अवधि में जमा करनी होगी। निर्धारित समय में शेष राशि जमा न करने पर जमा की गई संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति पुनः नीलाम की जाएगी।

11. बयाना राशि )EMD) **RTGS/NEFT** के माध्यम से **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**, खाता संख्या **32164052874**, IFSC **SBIN0004298**, वाणिज्यिक शाखा, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। संपत्ति के निरीक्षण अथवा अन्य जानकारी हेतु प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

12. असफल बोलीदाता की ईएमडी राशि ईबिक्री कार्यवाही के समापन के पश्चात शीघ्र वापस कर दी जाएगी। /नीलामी-ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

13. बिक्री प्रमाणपत्र केवल क्रेताआवेदक के नाम पर ही जारी किया जाएगा तथा किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया / जाएगा।

14. बिक्री **SARFAESI अधिनियम, 2002** तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमोंशर्तों के अधीन होगी।/

15. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा बिक्री या वसूली कार्यवाही पर स्थगनरोक लगाए जाने की/ स्थिति में नीलामीबिक्री को / बिना किसी अतिरिक्त सूचना के स्थगित अथवा रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामलों में प्रतिभागियों को किसी प्रकार के लागत का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।/क्षतिपूर्ति/हर्जाने

16. इच्छुक बोलीदाता प्रस्तावक अथवा उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि/के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को ई-बिक्री कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्राधिकरण पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करना /नीलामी अनिवार्य होगा।

17. उधारकर्ता संगठन को उसके निदेशकों एवं बंधककर्ता के माध्यम से संपत्ति का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने हेतु नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

18. बिक्री **प्राधिकृत अधिकारी की पुष्टि के अधीन** होगी।

19. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकारअस्वीकार करने अथवा / रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।/स्थगन/नीलामी को स्थगित

20. सफल बोलीदाता आयकर अधिनियम की **धारा 194(1A)** के अंतर्गत बिक्री राशि का **1% टीडीएस** जमा करेगा तथा उसका प्रमाण प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जहाँ लागू हो।

**<u>सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के तहत 30 दिनों के लिए वैधानिक बिक्री नोटिस।</u>**

उधारकर्ता संगठन/निदेशकगण/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि वे ऊपर दर्शाई गई राशि, अब तक का ब्याज एवं अन्य व्यय राशि सहित ई-ऑक्शन के दिनांक से पहले भुगतान कर दें, ऐसा न करने पर उल्लेखित सम्पतियों की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और अगर कोई बकाया राशि शेष रह जाती है, तो उसे ब्याज एवं व्यय के साथ वसूल किया जाएगा।

**विशेष निर्देश एवं सावधानी**

बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटोंसेकंडों में बोली लगाने से बचना चाहिए। इंटरनेट विफलता/, विद्युत आपूर्ति बाधा आदि के कारण उत्पन्न किसी भी चूकविफलता के लिए/ **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अथवा सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होंगे**। ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों से बचने हेतु बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बैकअप बिजली व्यवस्था - एवं अन्य आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर लें, ताकि वे नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

तनिषा लाल

दिनांक : 15.01.2026

प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : बेंगलुरु

सर्फेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम